कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ

अल्पकालीन सूचना

जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-540/जि0क0, दिनांक-11.09.2025 के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत कसबा प्रखंड के संझेली पंचायत में विकास मित्र श्री दरोगी राय, के दिनांक-05.09.2025 को सेवानिवृत होने के कारण रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु अनुमंडल कार्यालय पत्रांक-1745, दिनांक-29.11.2025 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा को तिथिवार अल्पकालीन सूचना उपलब्ध कराई गई थी। उक्त निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा के पत्रांक-1840, दिनांक-17.12.2025 से मेधा सूची एवं उनके पत्रांक-1865 दिनांक-22.12.2025 तथा पत्रांक-1873 दिनांक-23.12.2025 द्वारा मेधा सूची पर आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। शैक्षणिक प्रमाण-पत्र संबंधित आपत्ति के निराकरण हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्णिया के पत्रांक-780 दिनांक-29.12.2025 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्राप्त मार्गदर्शन के साथ संलग्न मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक- 106 दिनांक- 13.01.2025 में निहित निदेश को पूर्व में ज्ञापांक-1743 दिनांक-29.11.2025 द्वारा प्रकाशित अल्पकालीन सूचना में उल्लेख नहीं किया गया था, जिसकी सूचना पूर्व में समिति को ज्ञात नहीं थी। इसलिए अनुमंडल स्तरीय विकास मित्र चयन समिति की आयोजित बैठक में सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से पूर्व में प्रकाशित अल्पकालीन सूचना को रद्द करते हुए नई अल्पकालीन सूचना प्रकाशित करने का र्निणय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत कसबा प्रखंड के संझेली पंचायत में रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर पुनः नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित प्रखंड कार्यालय, कसबा में जमा किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है :-

क्र0	कार्य विषय	दिनांक
1	अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन एवं आम सूचना का प्रकाशन	17.01.2026
2	प्रखंड बार रिक्तियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	19.01.2026
3	संबंधित प्रखंड में आवेदन प्राप्त करना	20.01.2026, से 05.02.2026,
4	मेधा सूची तैयार करना एवं मेधा सूची का प्रकाशन	06.02.2026, से 07.02.2026,
5	चयन सूची का अनुमोदन	09.02.2026
6	चयन सूची का अंतिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना, आपत्ति का निराकरण करना एवं नियोजन सूची का प्रकाशन	11.02.2026, से 14.02.2026,
7	नियोजन पत्र का वितरण, शपथ ग्रहण एवं उन्मूखीकरण कार्यशाला	18.02.2026

रिक्तियों की विवरणी :-

क्र0	प्रखंड का नाम	रिक्तियों की सं0(सेवानिवृत के कारण)	पंचायत का नाम	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
1	कसबा	01	संझेली	हाड़ी(समान्य)	महिला/पुरूष

चयन हेतु योग्यता :-

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। जो मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक- 106 दिनांक- 13.01.2025 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विकास मित्र के रिक्त पदों के विरूद्ध चयन के क्रम में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता बोर्डो की सूची तथा NIOS के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची National institute of open Schooling के Website www.nios.ac.in पर Prospectus 2023-24 के पृष्ठ सं0 क्रमशः 131-134 (Appendix-झ) एवं 112-114 (Appendix-क) पर प्रदर्शित है (संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिये गये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की अपने स्तर जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर अनुशंसा के साथ नियोजन हेतु प्रतिवेदन का अग्रसारण करेंगे।), के अनुसार विकास मित्रों का नियोजन सम्पन्न किया जायेगा।

2. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक-01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 वर्ष होगी।
3. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है ।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह कलस्टर शहरी में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
5. जिस पंचायत /वार्ड समूह कलस्टर शहरी से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वही के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।

चयन की प्रक्रिया :-

1. मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूचि के आधार पर किया जाएगा।
2. अधिक संख्या में आवेदन -पत्र प्राप्त होने पर मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
3. चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिये अतिरिक्त लाभ नही दिया जाएगा।
4. विकास मित्र चयन में महादलित समूदाय की 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से महिला मुखिया(ग्रामीण) एवं महिला वार्ड (शहरी) आयुक्त के लिए आरक्षित पंचायत और वार्ड, महिला विकास मित्र के लिए आरक्षित रहेंगे। वार्ड (शहरी) के समूह (क्लस्टर) बनाने के उपरांत उनमें से सबसे अधिक महादलित जनसंख्या वाला वार्ड अगर महिला वार्ड आयुक्त (नगर निकाय) के लिए आरक्षित है, तो उस वार्ड (शहरी) समूह को महिला के लिए आरक्षित घोषित किया जायेगा।
5. सामान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता / योगदान नही देने/ दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के क्रम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करेगें।
7. विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता क्षांत करना

निर्धारित योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :-

- नन् मैट्रिक
- नौवीं पास
- आठवीं पास
- सातवीं पास
- छठ्ठा पास
- पाँचवी पास

सर्वप्रथम नन-मैट्रिक, उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में नीचे के शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक का चयन नहीं किया जायेगा।

नन-मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्तांक आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।

आठवीं से पाचवीं पास तक के अभ्यर्थियों से विद्यालय परित्याग पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।

वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो(जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।

अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे।

महिलाओं के लिये शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जा सकता है। वशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हों तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों।

इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थी के चयन से स्वविवेक निर्णय लिया जायेगा।

किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत से ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा।

8. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए जो प्रखंड कार्यालय, कसबा से प्राप्त किया जा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा का कार्यालय होगा।
10. आवेदन के साथ आवश्यक अनुलगन्क (क) मैट्रिक का अंकपंत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवीं से पाँचवी पास तक के अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। (ख) जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र।
11. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलेस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
12. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्र का चयन किया जाएगा।

ह०
अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, पूर्णिया

ज्ञापांक- 168 /सा0, दिनांक- 13/01/26

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कसबा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि संबंधित पंचायत में प्रचार-प्रसार कर पत्र में वर्णित तिथिवार आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया को उनके पत्रांक-540/जि0क0, दिनांक-11.09.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि दैनिक जागरण समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, पूर्णिया